कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, कैथल

रोजगार सूचना

कैथल जिला एवं सत्र न्यायालय में क्लर्कों के निम्नलिखित पदों पूर्णतय तदर्थ (Adhoc) आधार पर छः माह के लिए या जब तक माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियमित भर्ती नहीं की जाती, इनमें से जो भी कार्य पहले हो, आवेदन अमन्त्रित किए जाते है :-

पद नाम	पदों की संख्या 27 पद												वेतनमान
	पी0डब्लू0 बी0डी0		सामान्य	ई. डब्लू. एस.	अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति		भूतपूर्व सैनिक				
क्लर्क (तदर्थ आधार पर)	अंधापन/ कम दृष्टि	बहरा / सुनने में कठिनाई			वंचित अनुसूचित जाति	अन्य अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति ए.	पिछड़ी जाति बी.	सामान्य (ई. एस. एम.)	पिछड़ी जाति (ई. एस. एम.)	पिछड़ी जाति बी. (ई. एस. एम.)	अन्य पिछड़ी जाति (ई. एस. एम.)	25500/- प्रतिमाह
	01	01	09	03	03	01	02	02	02	01	01	01	

नोट:

भर्ती के दौरान रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार जो कि अदालतों की संख्या घटने या बढ़ने, सेवानिवृति, पदोन्नति, अतिरिक्त कर्मियों के समायोजन या अन्य किसी कारण से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना ना दी जायेगी ।

आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में ही माना जायेगा। आरक्षण नीति जो चयन के समय प्रचलित होगी वो लागू की जायेगी और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई हो।

भर्ती स्पष्ट रूप से हरियाणा अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सामान्य सेवा की शर्तें) नियम 1997 के नियम 7 के स्पष्टीकरण के अनुसार की जायेगी ।

आयु सीमा

आवेदक की आयु 01 जनवरी, 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष हो। आरक्षित उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जायेगी और जो निति माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई हो।

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक उत्तीर्ण (कला) या इसके समकक्ष से हो। आवेदक हिन्दी विषय के साथ दसवीं पास होना चाहिए तथा कम्प्यूटर के संचालन में दक्ष हो ।

आवेदक 01-01-2025 तक योग्यता की शर्त पूरी करता हो ।

आवेदन की अन्तिम तिथि

सभी तरह से पूर्ण आवेदन- पत्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, कैथल, के कार्यालय में डाक / कोरियर / दस्ती द्वारा भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 03.03.2025 सायं 05.00 बजे तक है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

चयन का तरीका

उम्मीदवार को निम्नलिखित विषयों में लिखित परीक्षा पास करनी होगी :-

क्रम संख्या	अवधि	विषय	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	योग्यता अंक
1	दो घण्टे	सामान्य ज्ञान	**Objective**	50	प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन किसी भी अयार्थी का तब तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जायेगा जब तक कि वह दोनो विषयों में 40% अंक प्राप्त नहीं कर लेता ।
2		अंग्रेजी रचना	**Objective**	10	
			Subjective (Essay, Letter, Precis, Translator)	40	
कुल अंक				100	

इसके बाद सभी उम्मीदवारों में से, लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों में से चयन समिति द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार, उम्मीदवारों को कम्प्यूटर दक्षता की परीक्षा (सी0पी0टी0) अर्थात कम्प्यूटर के संचालन में उम्मीदवारों की दक्षता का पता लगाना जो कि अनिवार्य है, के लिए बुलाया जायेगा । कम्प्यूटर दक्षता के जो अंक है वह अन्तिम योग्यता में नहीं जोड़े जायेंगे क्योंकि वह अंक केवल दक्षता परखने के लिए हैं ।

कम्प्यूटर दक्षता की परीक्षा दो भागों में ली जायेगी ।

पहले भाग में, उम्मीदवारों को 4% या उससे अधिक अंक प्राप्त करके Spread Sheet टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा जो 10 अंकों का और 10 मिन्ट अवधि का होगा ।

दूसरे भाग में, उम्मीदवारों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा ।

इसके बाद, योग्य उम्मीदवारों की चयन सूचि पूरी तरह से योग्यता के आधार पर तैयार की जायेगी ।

परीक्षा की तिथि और स्थान

परीक्षा से सम्बन्धित स्थान, तिथी और समय इस कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट http://kaithal.dcourts.gov.in/ पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को नियमित रूप से कार्यालय की वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है । परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अलग से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा । उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अपना पहचान-पत्र लाना आवश्यक है ।

आवश्यक निर्देश

1. आवेदन का प्रारूप इस कार्यालय की उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आवेदकों को अपने आवेदन के साथ मूल दस्तावेजों की स्वय - सत्यापित प्रतियां तथा अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो सत्यापित फोटो संलग्न करनी है।
3. अधूरे आवेदन-पत्रों को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया जाएगा और इस बारे में अलग से कोई पत्र - व्यवहार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि 03-03-2025 के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यद्यपि, निरस्त उम्मीदवारों की सूचि कार्यालय की वेबसाईट अपलोड कर दिया जायेगा ।
4. विकलांग व्यक्ति (पी0डब्लू0 बी0डी0) और आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, ई0डब्लू0एस और ई0एस0एम जैसा भी मामला हो) के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी आरक्षित श्रेणी व विकलांगता से सम्बन्धित सत्यापित दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक है । आरक्षण के दावे के लिए प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनतम जारी किया होना चाहिए ।
5. यह कार्यालय डाक विभाग और अन्य सेवा द्वारा आवेदन- पत्रों के नियत तारीख के बाद प्राप्त होने लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।
6. यदि सत्यापन के समय साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय दस्तावेजों में यह पाया जाता है कि आवेदक पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी ।
7. आवेदन पत्र भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर " क्लर्क तदर्थ (Adhoc) आधार पर के पद के लिए आवेदन-पत्र" लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजा जाए ।

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला न्यायालय, कैथल (हरियाणा)

8. आवेदन की अग्रिम प्रति व ई-मेल द्वारा प्राप्त आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
9. उपरोक्त पदो हेतु परीक्षा में उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का कोई यात्रा/भत्ता/दैनिक - भत्ता नहीं दिया जाएगा ।
10. प्रक्रिया पूर्ण होने पर अन्तिम परिणाम कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
11. आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर तर्कसगंत मानदंड अपनाते हुए यह कार्यालय आवेदकों की छँटनी कर सकता है, इस बारे अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आवेदकों की पात्रता / उपयुक्तता, चयन के तरीके / मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति का निर्णय अन्तिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होगा ।
12. केवल प्रात्रता मानदंड को पूरा करने से आवेदक को परीक्षा के लिए बुलाये जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। चयन समिति विज्ञापन में उल्लिखित चयन मानदंड आदि सहित किसी भी नियम और शर्तों में परिवर्तन / संशोधन या बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
13. किसी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, आवेदकों की पात्रता / उपयुक्तता, चयन के तरीके / मानदंड आदि से संबंधित सभी मामलों में चयन समिति का निर्णय अन्तिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होगा ।
14. किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने या गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी को चयन समिति द्वारा किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। किसी भी तरह की प्रचार-प्रसार प्रक्रिया से भी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
15. आवेदन से संबधित किसी भी सूचना के लिए आवेदक केवल इस कार्यालय के टेलीफोन नंबर 01746-234744 पर संपर्क कर सकता है ।

दिनांक फरवरी 10, 2025

(ऋतु वाई. के. बहल)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, कैथल, कैथल

PRDH-1278/11/31/2025/32393/67/6